



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

*K. S. S. S.*  
॥ जय माता दी ॥

*K. S. S. S.* X 349498

सरोज

पट्टा म्याद 30 साल  
भूमाड़ा- 5,000/-रुपये सालाना  
मालियत-30,000/-रुपये  
स्टाम्प-600/-रुपये  
क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

हम कि श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा अध्यक्ष अध्यक्ष श्रीमती सरोज सोलंकी पत्नी श्री निरंजन सिंह निवासी-ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा व माँ रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा के द्वारा अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी-ओल, जिला मथुरा मो-9045011557 ( पट्टादाता प्रथमपक्ष एवं श्रीमती आर0डी0 पब्लिक स्कूल ओल मथुरा द्वारा संचालित आर0डी0 एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा सचिव निरंजन सिंह सोलंकी पुत्र श्री सोवरन सिंह निवासी-ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा मो-9897719104 पट्टेदार द्वितीयपक्ष के हैं। विदित हो कि एक किता सम्पत्ति क्षेत्रफल-9018 वर्गगज बराबर-7540 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है।

पूरब - जमीन रघुनाथ सिंह  
पश्चिम - जमीन नारायण सिंह  
उत्तर - सड़क  
दक्षिण - जमीन ग्राम समाज व अन्य जमीन

स्थित मौजा-ओल, तहसील व जिला मथुरा जो खसरा नम्बर- 1246/2 व 2457 व 2460 व 2462 व 2458 की भूमि के भाग में स्थित है। उक्त सम्पत्ति आबादी में स्थित है, तथा विकास शुल्क सीमा के बाहर स्थित है। उक्त जमीन को प्रथमपक्ष पट्टादाता ने बजरिये पाँच किता पंजीकृत बैनामा प्रथम बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक-14.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द- 1643 के पृष्ठ- 295-346 में नम्बर- 11071 को हुई दर्ज है, व प्रथम बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक- 14.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-1643 के पृष्ठ-295-346 में नम्बर-11071 को हुई दर्ज है, व द्वितीय बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक- 30.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-1654 के पृष्ठ- 253-364 में नम्बर- 11394 को हुई दर्ज है, व तृतीय बैनामा इकरारी चरण सिंह पुत्र श्री सामन्ता से दिनांक-10.09.2009 जिसकी

सरोज

*K. S. S. S.*

*K. S. S. S.*

आवेदन सं०: 201900764008021

22 FEB 2019

वही सं०: 1

क्रम सं०


रजिस्ट्रेशन सं०: 2496

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 30000 स्टाम्प शुल्क - 500 बीजरी शुल्क - 100 प्रमाणिक शुल्क - 600 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 घोसा 3640

श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा द्वारा  
सरोज सोलंकी अधिकृत पदाधिकारी पते पर  
पत्नी श्री निरेजन सिंह  
व्यवसाय: अन्य  
निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

सरोज



श्रीमती. रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा द्वारा

सरोज सोलंकी अधिकृत  
पदाधिकारी पते पर

न सह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.02.2019  
एवं 12:08:24 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय  
उप निबंधक - सदर इलाका  
मथुरा  
25.02.2019

अमर मथ उपाध्याय  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - निवासेत

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

BV 020501

रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द- 3403 के पृष्ठ- 245-268 में नम्बर-7674 को हुई दर्ज है, व चतुर्थ बैनामा इकरारी श्रीमती नगीना पत्नी श्री लियागत से दिनांक- 07.06.2010 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-3546 के पृष्ठ-107-136 में नम्बर-5567 को हुई दर्ज है, व पाँचवा बैनामा इकरारी श्री सुम्मेरी पुत्र श्री सामन्ता से दिनांक- 08.12.2011 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-4525 के पृष्ठ-25-50 में नम्बर-13863 को हुई दर्ज है, पट्टादाता प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति की बाबत हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त है। अतः अपने अधिकार का प्रयोग करके लाभार्थ स्थाई आय हेतु उक्त सम्पत्ति को 30 साल के कॉलेज हेतु पट्टे पर देना तय किया है। सौभाग्य से द्वितीयाक्ष उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर लेने के तैयार है।

पट्टे की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष ने पट्टेदार द्वितीयपक्ष को दिनांक- 25.02.2019 से 30 साल की अवधि हेतु उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर दिया है। और पट्टेदार द्वितीयाक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 30 साल के लिये पट्टे पर लेना स्वीकार किया है। जिसके हम दोनों पक्षकारणगण व उनके कायम मुकामान वारिसान व स्थानापन्न अन्तरिती सदैव पाबन्द होंगे।
2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का भूभाड़ा 5000/-रुपये सालाना तय करार पाया जाता है। जिसके पट्टेदार द्वितीयपक्ष, पट्टादाता प्रथमपक्ष को बजरिये रसीद साल के साल अदा करता रहेगा। अदम अदाय किराया 3 साल पट्टादाता प्रथमपक्ष को भूभाड़ा वसूल करने का अधिकार होगा। परन्तु किसी भी दशा में पट्टादाता प्रथमपक्ष व उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसानों पट्टेदार को अथवा उसके स्थानापन्न को बेदखल न कर सकेंगे।
3. यह कि कब्जा व वदखल पट्टादाता प्रथमपक्ष में वर्णित सम्पत्ति से अपना हटाकर पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वास्तविक रूप से पट्टेदारान का करा दिया। पट्टेदार द्वितीयपक्ष वर्णित सम्पत्ति पर काबिज होकर नक्शा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करावे व नव निर्माण करावे। पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वर्णित सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त हो गये जो सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्राविधानों में पट्टेदार द्वितीयपक्ष के लिये वर्णित है।
4. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष अपने हकूक पट्टे का अन्तरण करने को सक्षम होंगे। जिसमें पट्टादाता प्रथमपक्ष या उसके स्थानापन्न को कभी कोई उज्र या एतराज हरगिज हॉसिल न होगा।
5. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष या पट्टेदार द्वितीयपक्ष की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को वहीं अधिकार हॉसिल होंगे जो पूर्व पट्टादाता/पट्टेदार को प्राप्त थे।
6. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष सम्पत्ति की बाबत तय किये भूभाड़े को उचित समय व उचित स्थान पर पट्टादाता या उसके अधिकृत एजेन्ट को अदा करेगा।
7. यह कि पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार या स्थानापन्न पट्टादाता या उसके स्थानापन्न को सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करेगा जिस स्थिति में ली थी, उसी स्थिति में देगा।
8. यह कि पट्टा दिनांक 25.02.2019 से प्रभावी हो गया।

शरीफ

12/5/2019

Ansolana



आवेदन सं०: 201900764008021



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 2496

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने के निमित्त प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: **हस्ताक्षर**

क्रम सं०: 72 दिनांक: 25  
नाम श्री: श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा के द्वारा सरोज सोलंकी  
संलग्न सं०: पत्नी श्री निरंजन सिंह

निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पट्टा दाता: 2

**सरोज**



श्री मों रामदुलारी कॉलेज ओल के द्वारा कृष्णवीर सिंह . पुत्र श्री निरंजन सिंह

निवासी: ओल जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1

**KVSolanki**



श्री आर०डी० पब्लिक स्कूल ओल द्वारा संचालित आर०डी० एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी के द्वारा निरंजन सिंह सोलंकी . पुत्र श्री सोवरन सिंह

निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

**Solanki**



श्री हरिशंकर . पुत्र श्री रत्नेश्वर

निवासी: चाक्रीपुर कला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

**हरिशंकर**



श्री राजाराम शर्मा . पुत्र श्री बट्टीप्रसाद

निवासी: चन्द्रपुरी कॉलोनी धौलीघाऊ मथुरा

व्यवसाय: अन्य

**[Signature]**




रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

**[Signature]**  
विजय प्रकाश पाण्डेय  
उप निबंधक - संवर द्वितीय  
मथुरा

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठी नियमानुसार लिए गए हैं ।  
दिष्पणी :

अमर नाथ उपाध्याय  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

BV 020502

9. यह कि द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड पर अपने स्कूल हेतु प्रयोग के लिये जिस प्रकार से भी निर्माण करावेयें वह करवा सकेंगे। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि द्वितीयपक्ष इस सम्पत्ति पर अपने नाम से बिजली आदि के कनेक्शन लें व सम्बन्धित विभागों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करें। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
- लिहाजा मन इन्द्रिय बुद्धि की स्वस्थ अवस्था में बिना खाये या सूँघे किसी नशीली वस्तु के यह पट्टा विलेख म्याद 30 साल के लिये दोनों पक्षकारगण ने दो गवाहान के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर करके लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे और पंच-पंचायत अदालत में निष्चयात्मक साक्ष्य में ग्रहण किया जावे। उक्त सभी खसरा नम्बरों में धारा 143 आबादी घोषित हो चुकी है।

शरीर

राजारा

राजारा

दिनांक-25.02.2019  
टाईप किया-मु0 इमरान  
ड्राफ्ट किया- चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट मथुरा।

गवाह-हरिशचंद पुत्र श्री रतीराम  
निवासी-चाकीपुर कलां मथुरा



राजारा

गवाह-राजाराम शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद  
निवासी-चन्द्रपुरी कॉलोनी, धौलीप्याऊ मथुरा  
मो0-9412226244



आवेदन सं०: 201900764008021


बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2496 के पृष्ठ 28 क्रमांक 2496 पर दिनांक 25/02/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

नाम श्री..... श्री.....  
संलग्न सं०..... नियासी.....

स्टाम्प विक्रेता  
इन्द्र प्रकाश मिश्र ला० न० 3/2005/06  
रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
विजय प्रकाश पाण्डेय  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मथुरा  
25/02/2019